**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2513**

**उत्तर देने की तारीख 08.08.2018**

**आरएमए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता**

**2513. श्री के. सोमप्रसादः**

**क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) कच्ची सामग्री सहायता (आरएमए) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ईकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल राज्य से आरएमए के तहत सहायता हेतु कितनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईकाइयों ने आवेदन किया है;

(ग) इस स्कीम के तहत केरल की लाभान्वित हुई ऐसी ईकाइयां कौन-कौन सी हैं तथा राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ‘हब’ द्वारा शुरू की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

(क): वर्ष 2017-18 के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सार्वजिनक क्षेत्र के एक उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कच्ची सामग्री सहायता (आरएमए) स्कीम के अंतर्गत 3593 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को 5938.80 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

(ख) और (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान एनएसआईसी की आरएमए स्कीम के अंतर्गत केरल राज्य की बयालीस (42) एमएसएमई इकाइयों को 92.11 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इन इकाइयों का ब्योरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) ने बहुत सी पहल की हैं जिनमें हब की उप स्कीमों नामतः एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम, विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस) और कार्य निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस) के अंतर्गत एससी/एसटी उद्यमों के लिए विशेष सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा, हब एससी/एसटी उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण/कौशल विकास तथा पथ प्रदर्शन सहायता के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है। सीपीएसई तथा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों की आपूर्ति श्रृंखला में एससी-एसटी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का संज्ञान लेने के लिए देश भर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर हब के अंतर्गत राज्य सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

\*\*\*\*\*\*\*

अनुबंध

दिनांक 08.08.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2513 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

|  |  |
| --- | --- |
| **क्र. सं.** | **इकाई का नाम** |
| 1 | आर्टेक ग्रुप (कॉनट्रैक्टिंग) |
| 2 | अब्दुल रहिमान टीए |
| 3 | आर्टेक रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | ए एफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड न्यू |
| 5 | ब्रम्सको गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड |
| 6 | ईआरएनएडी इंजीनियरिंग उद्यम |
| 7 | ईकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लि. |
| 8 | फारूक कंशट्रक्शन्स |
| 9 | गूड टाइम हाउसवेयर्स |
| 10 | हाईकाउंट प्लास्टिक्स एंड कैमिकल्स |
| 11 | हेनरी एंड फराद प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | हरि एंड गोपाल |
| 13 | इनसाइड प्लस |
| 14 | इंटर इलेक्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | इंडेक इंटीरियर एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | जयलक्ष्मी इंटरप्राइजेज |
| 17 | केवीजे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | के.वी. जोसेफ एंड संस प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | केटी मैथ्यू एंड कंपनी |
| 20 | एम ए एम पॉलिमर्स |
| 21 | एम डी एस्टाप्पन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड लि। |
| 22 | एम डी एस्टाप्पन |
| 23 | मैक्सपैक टेप्स एंडप्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | मैरीमाताकंसट्रक्शन कंपनी |
| 25 | नीओ पॉली पैक |
| 26 | नेचुपदम कंशटूक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | आउटलूक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | पेरूमलिलग्रेनाइट कंशट्रक्शन्स |
| 29 | पैन पैसिफ़िक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | रेथना पैक्स |
| 31 | आर पी सी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड |
| 33 | राजेश मैथ्यू एंड कंपनी |
| 34 | एस के बॉयलर्सप्राइवेट लिमिटेड |
| 35 | सॉफ़्टलैंड इंडिया लिमिटेड |
| 36 | श्रीरामा इंडस्ट्रीज यूनिट 1 |
| 37 | श्रीरामा इंडस्ट्रीज यूनिट 2 |
| 38 | श्रीरामा स्केफोल्ड सिस्टम्सप्रणाली |
| 39 | एसटी थॉमस रबर इंडस्ट्री |
| 40 | सिल्पा प्रोजेक्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | शारदा लगेज इंडस्ट्रीज |
| 42 | सैन्सन केमिकल इंडस्ट्रीज |